न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी प्रियंका कडेला आर0ए0एस0

मु0नं0	किस्म मुकदमा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
59/2024	प्रा.पत्र टी.आई	23/07/2024	20-4-2026

1 चेतराम पुत्र बदरी
2. छुट्टन पुत्र बदरी
3. नारायण पुत्र बदरी
4. रामकिशन पुत्र बदरी

सभी जाति मीना
निवासी भौताई
तहसील बामनवास
जिला सवाई माधोपुर

—प्रार्थीगण—

बनाम

1 रामजीलाल पुत्र लाल्या — जाति कोली निवासी भौताई

2. बत्तीलाल पुत्र हरिया
3. रामजीलाल पुत्र हरिया
4. मोहरबाई पुत्री हरिया
5. संती पुत्री हरिया
6. नथौली पुत्र प्रभू

जाति वैरवा
निवासी भौताई
तहसील बामनवास

7. बनीराम पुत्र जयराम
8. मुनीराम पुत्र जयराम
9. धीरज पुत्र बनीराम
10 पुखराज पुत्र श्यौजीराम
11. छुट्टन पुत्र श्यौजीराम
12 रामोतार पुत्र शुकलाल
13. प्रहलाद पुत्र लक्ष्मण
14 बुधराम पुत्र रंगलाल
15 प्रेमराज पुत्र रंगलाल
16 भरतलाल पुत्र रामफूल
17 योगेन्द्र पुत्र भरतलाल
18 केदार पुत्र वीरबल
19 रामकेश पुत्र प्रभू
20 तेजराम पुत्र छोटेलाल
21 रामचरण पुत्र लक्ष्मण

जाति मीना
निवासी भौताई
तहसील बामनवास
जिला सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स0मा0)

Scanned with CamScanner

22 टीकाराम पुत्र रामचरण
23 दलील पुत्र सरदार
24 राकेश पुत्र रत्ती
25 हरकेश पुत्र रत्ती
26 रामराज पुत्र लाखन
27 नीरज पुत्र श्याम लाल
28 काडूराम पुत्र पुखराज
29 शिवराज पुत्र पुखराज
30 सुरेश पुत्र जयराम
31 प्रभू पुत्र हरना

जाति मीना निवासी भौताई तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

32 वेदप्रकाश पुत्र कन्हैया जाति ब्राह्मण निवासी रामसिंहपुरा

— गैर सायलान—

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति — योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण/सायलान

श्री रामसिंह मीना अधिवक्ता अप्रार्थीगण/गैरसायलान

निर्णय

प्रार्थीगण/सायलान की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी ख. नं. 104 रकवा 2.44 हैक्टर स्थित ग्राम भौताई तहसील बामनवास है जिसकी खातेदारी सायलान व सायलान की माता मिश्री देवी हिस्सा 1/2 व रामजीलाल पुत्र लाल्या हिस्सा 1/2 के नाम रिकार्ड मे दर्ज है। मिश्री देवी का देहावसान हो चुका है जिसके सायलान ही एकमात्र वारिसान है उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर सायलान काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

प्रार्थीगण की और से यह भी कथन किया गया कि ख. नं. 107 रकवा 1.13 हैक्टर स्थित ग्राम भौताई है जिसमें सायला का 4/10 हिस्सा व सायलान की माता मिश्री देवी का 1/10 हिस्सा रिकार्ड में दर्ज है। मृतक मिश्री देवी का देहावसान हो चुका है। जिसके सायलान एक मात्र वारिस है इस प्रकार उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर सायलान तथा 1/2 हिस्से पर गैरसायल सं. 2 ता 6 काबिज है।

सायलान ने यह कथन किया कि ख. नं. 104 को मौके पर सायलान व गैरसायल सं. 1 ने मौके पर विभाजित कर [illegible] सायलान का मुताबिक मौका उत्तरी आधे भाग कब्जा काश्त है [illegible] दर्शाया है ख. नं. 107 को भी मौके पर सायलान व गैरसायलान सं. 2 ता 5 द्वारा विभाजित कर रखा है सायलान का हिस्सा खसरा नम्बर 108 के सहारे पूर्वी भाग है जिसे नजरी नक्शे मे बरंग लाल से दर्शाया गया है जो दावे का जुज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उक्त आराजी ख. नं.

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

104 व 107 के 1/2 भाग पर मुताबिक नजरी नक्शा काबिज है। गैरसायल सं. 1 ता 6 अनुसूचित जाति के व्यक्ति है गैरसायल सं. 7 ता 31 मीना समाज के व्यक्ति है जिनका गांव में बाहुल्य है। जबरन बलद् की ताकत से सायलान को बेदखल कर देना चाहते हैं। शामलाती खातेदारी की भूमि होने के कारण गैरसायल सं. 7 ता 32 गैरसायल सं. 1 ता 7 के सहयोग से सायलान को बेदखल कर उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करना चाहते है। दिनांक 15/07/2024 को काश्त न करने की धमकी दी। सायलान का प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में है व गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी। इस प्रकार सायलान ने ख. नं. 107 व 104 के 1/2 भाग मुताबिक नजरी नक्शा बरंग लाल भाग सायलान को काब्जे काश्त में व्यवधान न करने हेतु गैरसायलान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये व अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी की गई।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से रामजीलाल ने स्वंय उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत कर सायलान की खातेदारी व मुताबिक नजरी नक्शा कब्जा होना स्वीकार कर विभाजन किये जाने में सहमति प्रदान की तथा यह भी कथन किया कि गैरसायलान सं. 7 ता 32 का भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है।

गैरसायल सं. 2 ता 6 बत्तीलाल, रामजीलाल, मोहरबाई, संती, नथौली की ओर से जबाब प्रस्तुत कर सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये ख. नं. 104 को 60–70 वर्षो पुजारी देवप्रकाश द्वारा काश्त करना बताया है तथा यह भी कथन किया कि उक्त भूमि को गिर्राज पुत्र छाज्या बैरवा द्वारा 100/– रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 31/07/2022 को मंदिर के नाम दान कर दी। जिससे खातेदारों के अधिकार समाप्त हो गये। इसी प्रकार गैरसायल सं. 7 ता 31 व गैरसायल सं. 32 वेदप्रकाश द्वारा भी अपने अलग –अलग प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त आराजी ख. नं. 104 पर वेदप्रकाश पुत्र कन्हैया ब्राह्मण का कब्जा काश्त है। तथा उक्त आराजी में गिर्राज बैरवा द्वारा ख. नं. 104 का अपना हिस्सा दिनांक 31/07/2022 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर मंदिर के नाम दान कर दिया। इसी प्रकार गैरसायल बत्तीलाल, रामजीलाल, प्रभु बैरवा द्वारा भी ख. नं. 107 [illegible] मंदिर के नाम 100/– रूपये के स्टाम्प पर दान कर दिया। इस प्रकार [illegible] सायलान व गैरसायल सं. 1 ता 6 का कोई कब्जा [illegible] नहीं है अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष सायलान प्राप्त करने के [illegible] के प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत जबाब का जबाबुल जबाव सायलान ने

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत कर कथन किया कि गैरसायल वेदप्रकाश ब्राह्मण उक्त भूमि पर 60–70 वर्षो से अपना कब्जा होना बताता है जबकि उसकी स्वयं की उम्र 45 वर्ष है। सायलान ने अपने जबाबुल जबाब के विशेष विवरण में यह भी कथन किया कि तथाकथित बताये गये दानपत्र से सायलान का कोई सम्बन्ध नहीं है। सायलान द्वारा अपनी भूमि के बाबत् गैरसायलान या किसी अन्य व्यक्ति को न तो कोई दस्तावेज लिखा न ही अपने हस्ताक्षर किये। इसलिए तथाकथित दानपत्र सायलान के विरूद्ध वेअसर है। उक्त दस्तावेज अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबन्धित है जो एक वेष्टपेपर की श्रेणी में आता है दस्तावेज साजसी और फर्जी हैं। सालयान की भूमि व गैरसायल सं. 1 ता 6 की भूमि रिकार्ड व मौके पर अलग–अलग है तथाकथित बताया गया दानपत्र का दस्तावेज विपक्षी सं. 1 ता 7 से सम्बन्धित है इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अधिवक्तागण द्वारा उपरोक्त कथनो की पुर्नावृति करते हुये सायलान के अधिवक्तागण द्वारा कथन किया गया कि भूमि ख. नं. 104 व 107 के सालयान 1/2 हिस्से के काबिज काश्तकार है मुताबिक नजरी नक्शा संलग्न वाद पत्र बरंग लाल भाग से गैरसायलान का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। गैरसायलान द्वारा तथाकथित बनाये गये दानपत्र से सायलान का कोई सम्बन्ध नहीं है। सायलान द्वारा न तो कभी मंदिर को भूमि दान की न ही कोई दस्तावेज मंदिर या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में सायलान द्वारा लिखा गया। गैरसायलान ने जो भी दानपत्र बताये गये है या जो कथन किया है वह सब गैरसायलान सं. 1 ता 7 की हिस्से की भूमि के बाबत् है सायलान का उक्त भूमि पर कब्जा होने व राजस्व रिकार्ड की स्थिति सायलान के पक्ष में होने के तथ्य को गैरसायलान किसी भी प्रकार से असत्य साबित नहीं कर पाये है सायलान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। एक वैधखातेदार के हितों की रक्षा किया जाना न्यायोचित व कानूनन आवश्यक है। स्वयं सहखातेदार रामजीलाल द्वारा भी सायलान की कब्जे व खातेदारी की भूमि होना स्वीकार किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

गैरसायलान के अधिवक्ता द्वारा कथन किया भूमि पर जबाबदारान का कब्जा है तथा भूमि को गैरसायलान द्वारा जरिये स्टाम्प मंदिर के नाम दान कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की [illegible] पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात, जमाबन्दी आदि का [illegible] सायलान ख. नं. 104 व 107 के 1/2 हि[illegible] हैं स्वयं गैरसायलान रामजीलाल स्हखातेदार ने भी उक्त आराजीयात [illegible] 1/2 भाग पर मुताबिक नजरी नक्शा बरंग लाल भाग पर सायलान का कब्जा होना स्वीकार किया है।

Scanned with CamScanner

इस प्रकार सायलान के भूमि के रिकार्डेड खातेदार टीनेट होना प्रमाणित है। गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत तथाकथित बताये गये दानपत्र से सायलान का कोई सम्बन्ध होना गैरसायलान साबित नहीं कर पाये हैं। एक रिकार्डेड खातेदार टीनेट के हितो की रक्षा नहीं की गई तो गैरसायलान के अवैध कृत्य को बढ़ावा मिलेगा। सायलान का प्रथम दृष्टा केस बखूबी प्रमाणित होना पाया जाता है, सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में है। गैरसायलान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो निश्चित रूप से सायलान को अपूर्णिय क्षति होगी।

अतः सालयान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार जाकर गैरसायलान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला दावा इस अमर का पाबन्द किया जाता है कि आराजी ख. नं. 104 रकबा 2.44 हैक्टर स्थित ग्राम भौताई व ख. नं. 107 रकबा 1.13 हैक्टर स्थित ग्राम भौताई के हिस्सा 1/2 भाग मुताबिक नजरी नक्शा संलग्न वाद पत्र बरंग लाल भाग में सायलान के उपयोग–उपभोग, फसल जोतने, बोने व काटने मे किसी प्रकार की बाधा या माना मजाहमत न तो स्वंय पैदा न किसी अन्य से करावे।

निर्णय आज दिनांक 20·4·26 को खुले अदालत लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील फेसल शुमार होकर संलग्न वाद पत्र रहे।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)
प्रियंका कडेला
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner